



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03032022-233874
CG-DL-E-03032022-233874

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 955]
No. 955]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 3, 2022/ फाल्गुन 12, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 3, 2022/PHALGUNA 12, 1943

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2022

का.आ. 985(अ).—आयकर नियमावली, 1962 के नियमों 5ग और 5 ड. के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा आयकर नियमावली, 1961 के नियमों 5ग और 5ड. के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु 'विश्वविद्यालय, कॉलेज अथवा अन्य संस्थान' की श्रेणी के अंतर्गत 'श्री शंकर कैंसर फाउन्डेशन, बेंगलूर (पैन: एएएचटीएस 5593एफ)' का अनुमोदन करती है।

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र (अर्थात् पूर्व वर्ष 2021-22 से) में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगी और तदनुसार निर्धारण वर्षों 2022-23 से 2026-2027 के लिए लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 14 /2022/फा. सं. 203/03/2021/आईटीए-II]

रविन्द्र मैनी, निदेशक

व्याख्यात्मक ज्ञापन : यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।